



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022026-270518  
CG-DL-E-26022026-270518

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 993]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 993]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

**का.आ. 1037(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1022(E) तारीख 28/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 340B के कि.मी. 0.00 से कि.मी.5.00 (सोमयाजुलापल्ली- दून रोड) तक के भूखण्ड पर के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि ) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20.03.2025" को द हंस इंडिया (अंग्रेजी) और "आंध्र प्रभा (तेलुगु)" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 340B के कि.मी. 0.00 से कि.मी.5.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: करनूल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: ओरवाकल					
गांव का नाम: सोमयाजुलापल्ली					
1	153	निजी	ड्राय	0.016	एंडोवमेंट लैंड
गांव का नाम: कोमारोलु					
2	155/1	निजी	ड्राय	0.061	गोविन्दैया आचार्य 155/D
3	155ए	निजी	ड्राय	0.02	एपीआईआईसी
4	155ए	निजी	ड्राय	0.178	एपीआईसी
5	308	निजी	ड्राय	0.02	रस्ता 307/B
<b>Total</b>				<b>0.295</b>	

[फा. सं RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-II/3D.]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th February, 2026

**S.O. 1037(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1022(E) Dated:28/02/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc..) of Maintenance, management and operation of **National Highway 340B on the stretch of land from Km 0.00 to Km 5.00 (Somayajulapalli Dhone Road)** in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in # **The Hans India (English) and Andhra Prabha (Telugu) both Dated 20.03.2025** # ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 0.00 to Km 5.00 National Highway 340B in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KURNOOL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Orvakal</b>					
<b>Village: Somayajulapalli</b>					
1	153	Private	Dry	0.016	Endowment land
<b>Village: Komarolu</b>					
2	155/1	Private	Dry	0.061	Govindaiah Achary 155/D
3	155A	Private	Dry	0.02	APIIC
4	155A	Private	Dry	0.178	APIIC
5	308	Private	Dry	0.02	Rasta 307/B
<b>Total</b>				<b>0.295</b>	

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director